



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



13 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 590 राँची, गुरुवार,

5 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

5 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-36/2022-23892(HRMS)--श्री लखी राम बास्के, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-61/20), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा को सुन्दरनगर काण्ड संख्या-22/2017, जी०आर० नं०-1867/17 में अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी (S.D.J.M.), जमशेदपुर के न्यायालय में आत्मसमर्पण करने के पश्चात् उन्हें न्यायिक हिरासत में घाघीडीह केन्द्रीय कारागार भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं०-17719(HRMS), दिनांक 18.10.2022 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत आत्मसमर्पण की तिथि दिनांक 18.07.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया गया ।

2. श्री बास्के द्वारा न्यायिक हिरासत से मुक्त होने के बाद दिनांक 12.12.2022 को विभाग में योगदान समर्पित किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय अधिसूचना सं०-255(HRMS), दिनांक 12.01.2023 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(3)(i) के तहत श्री बास्के द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-12.12.2022 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत करते हुए उक्त नियमावली के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत योगदान की तिथि 12.12.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया गया तथा निलंबन अवधि में

इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया गया।

3. श्री बास्के के पत्र, दिनांक 22.07.2023 द्वारा निलंबन से मुक्त करने के संबंध में आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें उल्लेख है कि उक्त काण्ड में दिनांक 18.07.2022 को आत्मसर्पण किये जाने के पश्चात् अधिसूचना सं0-17719(HRMS), दिनांक 18.10.2022 द्वारा दिनांक 18.07.2022 के तिथि से निलंबन किया गया तथा विभागीय अधिसूचना सं0-255(HRMS), दिनांक 12.01.2023 द्वारा श्री बास्के द्वारा योगदान दिये जाने की तिथि दिनांक-12.12.2022 के प्रभाव से अगले आदेश तक इन्हें पुनः निलंबित किया गया। उनकी माँ कई दिनों से बीमार है तथा ये मधुमेह का मरीज हैं साथ ही स्नायु-विकास (न्यूरो) से संबंधित रोग से प्रभावित हैं। पैसे के अभाव में बच्चों की शिक्षा-दिक्षा प्रभावित हो सकती है एवं उनका भविष्य भी खराब हो सकता है। ये आर्थिक संकट एवं मानसिक वेदना से अत्यधिक त्रस्त हैं एवं इनके परिवार का जीवन अत्यंत दयनीय हो गया है।

4. श्री बास्के द्वारा समर्पित आवेदन एवं मामले की समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री लखीराम बास्के, झा0प्र0से0, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा, सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री बास्के के निलंबन अवधि का विनियमन उनके विरुद्ध दर्ज सुन्दरनगर काण्ड संख्या-22/2017 में पारित अंतिम आदेश के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Department	Office	Designation	Decision of the Competent Authority	Effective Date	Effect of suspension period on pension
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LAKHI RAM BASKEY (20060400007)	PERSONNEL ADMINISTRATIVE REFORMS AND RAJBHASHA DEPARTMENT	Personnel Administrative Reforms and Rajbhasha Department (RANCHI)	Under Suspension	श्री लखी राम बास्के, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 61/20), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, गोड्डा सम्प्रति- निलंबित को निलंबन से मुक्त किया जाता है।	04/09/2023	It will NOT be calculated for pension purposes

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
